

उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-1
संख्या-1363/38-1-2014-35(112)/2011टी0सी0
लखनऊ: दिनांक: 03 जुलाई, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

वेतन समिति उ0प्र0 (1997-99) की संस्तुतियों पर शासनादेश सं0-वे0आ0-2-560/दस-45(एम)-99, दिनांक 02.12.2000 में लिये गये निर्णयानुसार ग्राम्य विकास विभाग में कार्यरत प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग के विभिन्न पदों पर पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति के संबंध में ग्राम्य विकास अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2351/38-1-94-25पी/92, दिनांक 30.03.1994 के क्रम में संलग्न सूची में उल्लिखित रू0 3000-100-3500-125-4500 (दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित वेतनमान रू0 10000-15200) के वेतनमान के अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से 3700-125-4700-150-5000 (01-01-1996 से पुनरीक्षित वेतनमान रू0 12000-16500) का समयमान वेतनमान वैयक्तिक वेतनमान के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2- सेवानिवृत्त अधिकारियों को समयमान वेतनमान सेवानिवृत्ति की तिथि तक ही अनुमन्य होगा। उक्त व्यवस्था से संबंधित अधिकारी का पदनाम परिवर्तित नहीं होगा।


संलग्नक : यथोक्त।

अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- 1363 (1)/38-1-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
2. महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त।
4. संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
5. संबंधित कोषाधिकारी।
6. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
8. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र उत्तम)
संयुक्त सचिव।
२